

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007] No. 1007] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1521(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 (2000 का 54) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) संशोधन नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014 के नियम 7 में, उप-नियम (7) और उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—
 - "(7) अनिधकता की लागत के प्रस्ताव के लिए अनुमोदित प्रशासिनक रूप से रकम की लागत से परे रकम का दस प्रतिशत अनुज्ञेय होगा और अधिकता, यदि कोई हो, आर्थिक महत्ता और अंतरराज्यिकता संयोजकता से परियोजनाओं के सिवाय, स्वयं स्त्रोतों से कार्यकारिणी अभिकरण द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।
 - (8) आर्थिक महत्ता और अंतरराज्यिक संयोजकता की परियोजनाओं से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और किसी अन्य परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 11011/2/2000/पी एंड एम (पार्ट- 2)]

राजेश गृप्ता, उप-सचिव

7225 GI/2017 (1)

पाद टिप्पण : मूल नियम संख्या सा.का.नि. 531(अ), तारीख 24 जुलाई, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2017

- **G.S.R. 1521(E).**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Central Road Fund Act, 2000 (54 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2014, namely:—
- **1. Short title, and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Road Fund (State Roads) Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Road Fund (State Roads) Rules, 2014, in rule 7, for sub-rule (7) and sub-rule (8), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
 - "(7) No excess cost beyond ten per cent. of the amount administratively approved for the proposal shall be permissible and the excess, if any, shall be arranged by the executive agency from their own resources except for the projects of economic importance and inter-State connectivity.
 - (8) The revised estimates relating to projects of economic importance and inter-State connectivity, if any, shall be considered by the Central Government and revised estimates of any other projects shall not be considered.".

[F. No. NH-11011/2/2000-P&M (Pt-2)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 531(E), dated the 24th July, 2014 and subsequently amended *vide* G.S.R. 619(E), dated the 23rd June, 2016.